(समयबद्ध/आज ही)

* सूचना का अधिकार प्रथम अपील प्रकरण *

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

12-सुभाष रोड, देहरादून।

(दूरभाष सं0 0135-2712685, फैक्स नं0-2712080, E.mail-dgc-police-ua@nic.in)

पत्रांक: पु0मु0/लो0सू0(**242**)/2021 **दिनांक:**अक्टूबर 27,2021

सेवा में,

श्री विकेश सिंह नेगी(एडवोकेट),
पताः सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड,
चैम्बर नं0-1(ए), निकट शहीद स्मारक,
देहरादून। *(रजि0 डाक)*

कृपया प्रथम अपीलीय अधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक(प्रो0/मार्ड0), पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः पु0मु0/लो0सू0/अ-I-**20/2021**, दिनांकितः 30/09/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आपके प्रथम अपील पत्र दिनांकः 02/09/2021 का निस्तारण करते हुये, अंतरिम आदेश के प्रस्तर-7 में आपके मूल सूचना अनुरोध पत्र दिनांकः 03/08/2021 में आवेदित सूचनाओं के सापेक्ष यदि उत्तराखण्ड सिटी पैट्रोल यूनिट के गठन सम्बन्धी शासनादेश पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड में धारित/संचित हो तो उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय अधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक(प्रो0/मार्ड0), पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त सन्दर्भित प्रथम अपील निस्तारण आदेश दिनांकितः 30/09/2021 में पारित आदेशों के अनुपालन में आपके मूल सूचना अनुरोध पत्र दिनांकः 03/08/2021 में आवेदित सूचनाओं के सापेक्ष में पुलिस उप महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, उत्तराखण्ड से प्राप्त सूचनानुसार अवगत कराना है कि सिटी पैट्रोल यूनिट(सीपीयू) के गठन से सम्बन्धित शासनादेश पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड में धारित/संचित नही है, सीटी पैट्रोल यूनिट के गठन से सम्बन्धित तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-डीजी-अप0-294/2013, दिनांकः 19/11/2013 की प्रति पूर्व में आपको उपलब्ध करायी जा चकी है।

संलग्नः यथोपरि।

(सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस0)
लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस उपमहानिरीक्षक(प्रो0/मार्ड0),
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रतिलिपिः

1- **प्रथम अपीलीय अधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक(प्रो0/मार्ड0)**, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रथम अपील निस्तारण आदेश पत्रांकः पु0मु0/लो0सू0/अ-I-20/2021, दिनांकितः 30/09/2021 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner